

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व वाद पत्र संख्या : 36/2019

सिंह वगैरा

प्रतिवादीगण

सिंह वगैरा

मुकदमा-राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर	व
तारीख	
अहकाम	जो
इस हुक्म की	तामील में
जारी हुए	

3 पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय समय मे वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता को तीन तीन बार आवाजे लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नही वादी अधिवक्ता को समन पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु समन नही किये गये। अतःवादी का वाद आदम हाजरी आदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी